आमुख

इस पुस्तिका का प्रयोजन लोक सभा के सदस्यों, विशेषकर नए सदस्यों का विविध संसदीय विषयों के बारे में मार्ग-दर्शन करना है।

2. इस पुस्तिका में दी गई जानकारी विस्तृत नहीं है। इसे प्रमाण रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रयोजन के लिए संविधान के उपबंधों, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों अथवा अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत दिए गए निदेशों, अध्यक्ष पीठ के विनिर्णयों, सुस्थापित परम्पराओं एवं प्रथाओं आदि का हवाला दें और केवल उन्हीं पर निर्भर करें।

3. इस प्रकाशन के विभिन्न पृष्ठों पर उल्लिखित नियम, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में दिए गए नियम हैं।

नई दिल्ली;
मई, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।